मुण्डा मानकी शासन व्यवस्था

मुण्डा मानकी शासन व्यवस्था मुख्यतः सिंहभूम क्षेत्र (कोल्हान प्रमंडल) मे प्रचलित है।

- यह शासन व्यवस्था हो जनजातियों की परंपरिक शासन व्यवस्था है जो कोल्हान क्षेत्र में निवास करती है।

○ मुण्डा मानकी शासन व्यवस्था की संरचना –

यह शासन व्यवस्था दो स्तरीय होती है –

1. गांव
2. पिड़

गांव

- गांव मुण्डा मानकी शासन व्यवस्था की सबसे छोटी और प्रथम इकाई है। यह सुनिश्चित करता है कि सामाजिक , सांस्कृतिक और नैतिक सिद्धांतो का मुख्य रूप से पालन किया जाए।
- गांव की व्यवस्था के संचालन के लिए कुछ महत्वपूर्ण पद होते है ।

1. मुण्डा

✓ गांव का प्रधान

✓ वंशानुगत पद

✓ गांव की प्राकृतिक संसाधनो के स्वामित्व की जानकारी रखना

✓ यह सामूदायिक शक्ति का प्रतीक होता है।

- ✓ बाहरी मामलों में गांव का प्रतिनिधित्व
- ✓ पर्व त्यौहार की तिथि तय करना
- ✓ विवादो का निवारण करना

2. डाकुआ

- ✓ मुण्डा का सहायक
- ✓ मुण्डा के निर्देश पर कोई भी बैठक, समारोह, उत्सव , पर्व त्योहार या अन्य अवसर के लिए ग्रामीण को सुचित कर उसे एकत्रित करना ।

3. दिउरी

- ✓ गांव का धार्मिक प्रधान
- ✓ इसका कार्य सामूहिक, धार्मिक अनुष्ठान तथा समारोह का संचालन करना।
- ✓ धार्मिक अपराधों के मामले को सुलझाना
- ✓ आरोपित व्यक्ति का दंड तय करना।

4. यात्रा दिउरी – दिउरी का सहायक

○ पिड़

- 15–20 गांवो का संगठन
- इसका कार्य बाहरी लोगो और घुसपैठ को रोकना
- सबसे प्रभावशाली और मजबूत प्रधान को पीड़ का प्रधान बनाया जाता है।

❖ पीड़ का प्रधान – मानकी

कार्य – अंतर ग्राम विवाद को सुलझाना

- जिस विवाद का निवारण गांव मे ना हो पाए उसे पिड़ मे सुलझाया जाता है।

नोट – परंपरागत रूप से मुण्डा और मानकी को उनके पद के लिए कोई वित्तिय प्रावधान नही है।

नोट :– मानकी का सहायक तहसीलदार होता है जो मुण्डा से मालगुजारी वसुलता है।

S.W.F.A का गठन

- 1760 ई. में अंग्रेजो का प्रभाव कोल्हान क्षेत्र में बढने लगता है। अंग्रेजो की दमनकारी नीतियों से तंग आ कर 1831–32 मे कोल विद्रोह होता है।
- कोल विद्रोह के परिणामस्वरूप कोल्हान क्षेत्र में **South west Frontier Agency** घोषित किया जाता है। कैप्टन विलकिंसन को अंग्रेजो का एजेंट बना कर इस क्षेत्र में भेजा जाता है।

- विलकिंसन द्वारा इस क्षेत्र के न्यायीक और नागरीक प्रशासन का गहन अध्ययन करने के पश्चात 1837 में विलकिंसन रूल लागू किया जाता है।

विलकिंसन रूल का पारम्परिक शासन व्यवस्था पर प्रभाव

- इस रूल में अंग्रेजो और जनजातियों के बीच समझौते होते है और कुछ बदलाव के साथ पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को मान्यता दे दी जाती है।
- विलकिंसन रूल के अंतर्गत कुल 32 प्रावधान लागु किया गया।
- जनजातियों के निवास क्षेत्र को **Kolhan Govt. Estate** नाम दिया गया ।
- मुण्डा और मानकी पद को पहले की तरह वंशानुगत रखा गया ।
- मुण्डा को अपने गांव में प्रत्येक हल पर 50 पैसे वसुलने का जिम्मा मिला।
- मुण्डा द्वारा वसुले गए प्रत्येक 1रू पर 12 आना मानकी के पास जमा करना होता था।
- मुण्डा से प्राप्त कर को मानकी द्वारा अंग्रेजो के सरकारी खजाने मे जमा किया जाता था।
- पारिश्रमिक के तौर पर वसुले गए राजस्व का 16 प्रतिशत मुण्डा को और 10 प्रतिशत मानकी को मिलता था।

- दंढ के स्वरूप मिले राशि में आधी राशि गांव के विकास मे उपयोग होता था तथा आधी राशि डाकुआ को पारिश्रमिक तौर पर दिया जाता था।
- ग्राम सभा – निचली अदालत (300 रू से कम के मामले)
- 300 रू से अधिक मामले – कोल्हान अधिक्षक

- हुकुकनामा – मुण्डा और मानकियों के अधिकार और कर्तव्य को हुकुकनामा कहा गया।

नोट – अंग्रेजो के अधिकार से पहले मुण्डा मानकी व्यवस्था पोड़ाहाट राजा द्वारा चलाया जाता था।

नोट – जिस मामले का निपटारा मानकी भी नही कर पाते थे उसे तीन मानकियों की समिति द्वारा निराकरण किया जाता था।